

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: 67

दिनांक: 30/11/23

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत कार्यालय आदेश//

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मुझ स्नेहा जाखड़** आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा **माह-दिसम्बर, 2023** में पडने वाले अवकाशों के दिन दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, प्रोटोकॉल जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्य) की सुनवाई हेतु निम्न पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	पदनाम	दिनांक
01	रूपल अग्रवाल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय	03.12.2023
02	गजपाल सिंह	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 दौसा	09.12.2023
03	छवि सिंघल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा जिला-दौसा	10.12.2023
04	प्रीति चौधरी	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला-दौसा	17.12.2023
05	रेखा तिवारी	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, दौसा	23.12.2023 24.12.2023
06	मनोज कुमार	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा जिला-दौसा	01.01.2024

निर्देश:- 01- अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 11.30 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक रहेगा। कोविड-19 संबंधी समस्त गाइड लाइन की पालना कर्तव्य निष्पादन में सुनिश्चित की जावेगी।

02-विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

03-अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

04-यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किये गये थे।

05-नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

Smeh
30.11.23
(स्नेहा जाखड़)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)